जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमाक जविप्रा / उपा. / पी.आर.एन.(दक्षिण–द्वितीय) / 2025 / डी– 434 दिनांक........ 21/04/2025

अभिस्वीकृति (Acknowledgement)

प्रारूप (य)

श्री पूरण मल सैनी पुत्र श्री मूल चंद सैनी,
निवासी न्यू सांगानेर रोड, पटेल मार्ग के सामने,
मानसरोवर, जयपुर

विषयः– आवेदित भूखण्ड संख्या 14 योजना प्रजापति नगर–सी ,(ग्राम–मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास), जयपुर हेतु Architect Harish Kumar Kumawat द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण मानचित्र दस्तावेजों की अभिस्वीकृति बाबत।

संदर्भः– राज काज क्रमांक 59306–7355066 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा आवेदित भूखण्ड संख्या 14 योजना प्रजापति नगर–सी,(ग्राम–मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास) के भवन निर्माण मानचित्र स्वीकृति से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज मय पंजीकृत तकनीकीविद से अनुमोदित मानचित्र बेसमेन्ट**+स्टील्ट+G+5 (18.00 मी.)** कार्यालय से प्राप्त हुए है व पंजीकृत तकनीकीविद द्वारा जारी मांग पत्र अनुसार राशि व बेटरमेन्ट लेवी के उत्तर दिनांक चैक जविप्रा कोष में प्राप्त में प्राप्त कर लिए गये है।

जविप्रा जयपुर रीजन भवन विनियम–2020 के विनियम संख्या 6(I) एवं 6(II) के तहत भूखण्ड पर निर्माण भवन विनियामें के अनुसार ही किया जाना होगा, अन्यथा भवन विनियमों के मानदण्डों का उल्लघंन होने पर संपूर्ण जिम्मेदारी भूखण्डधारी की होगी एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे भवन विनियमों के विपरित निर्माण को नियमानुसार सीज अथवा ध्वस्त किया जा सकेगा।

अतः आप द्वारा पंजीकृत तकनीकीविद से अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार भवन विनियमों के प्रावधानों की सुनिश्चिता करते हुए भवन निर्माण किया जा सकेगा। स्वामित्व संबंधी कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर समस्त जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी।

उपायुक्त
जोन–पी.आर.एन.(दक्षिण–द्वितीय),
जविप्रा, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Varsha Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.04.21 17:46:33 IST
Reason: Approved

1 | सामुदायिक केन्द्र, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवरजयपुर.302020
दूरभाष.91.141.सम्बंधित कार्यालयद्व रु ईपीबीएक्स . 91.141.2569696 एक्सटेंशनरु सम्बंधित कार्यालयद्वरु फैक्स. 91.141.2574555
ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

R:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\14837133_9008321368490841380.docx
RajKaj Ref No.: 14837133

जयपुर विकास प्राधिकरण

Jaipur Development Authority

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004, राजस्थान, भारत

Ram Kishor Vyas Bhawan, Indra Circle, Jawaharlal Nehru Marg, Jaipur - 302004, Rajasthan, India

नागरिक सेवा केन्द्र पंजीयन क्रमांक

CCC Registration No

418202

प्राप्ति स्वीकार की सूचना

Acknowledgement Slip

पदाभिहित अधिकारी का नाम :
Name of the designated officer: DC ZONE-PRN(South)

कार्यालय पता :
Office Address DC ZONE-PRN(South-2)

1. आवेदक का नाम और पता
   Applicant Name — SH. PURAN MAL SAINI
2. पिता / पति का नाम और पता
   Fathers/Husband Name and Address — SH. MOOL CHAND SAINI
   MONA NARSARI NEW SANGANER ROAD MANSAROVAR OPP PATEL MARG, , Pincode 302020, Mobile: 9983704441
   Email :-
3. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति की तारिख
   Date of receiving application in the office of designated officer — 04/04/2025
4. सेवा का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया है
   Name of the service for which the application is given — Submission by Registered Architect -->Building Plan
5. अतिरिक्त संलग्न दस्तावेज की सूची/ टिप्पणी
   List of Additional Documents/Remark
   ORG. SITE MAP AND OTHER DOCUMENTS
6. नियत समय सीमा की अंतिम तारीख
   Last date of the stipulated time limit

Property Details **Service No. :6881000004**

विकासकर्ता का प्रकार / विकासकर्ता का नाम
Developer Type / Developer Name — Cooperative/BHARAT BHAWAN GNSS

योजना का नाम / योजना की लोकेशन
Scheme Name / Location — PRAJAPATI NAGAR C-PRN - / VILLAGE MANPUR DEVARI URF GOLIYAWAS

भूखण्ड का प्रकार Type of Plot Residential	भूखण्ड संख्या Plot No. 14	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग गज) / (वर्ग मीटर) Plot Area (Sq.Yds.)/(Sq.Mtr.) /
चालान सं. Challan No.	राशि (रुपयों में) Fee In Rs.	चालान दिनांक Challan Date

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा आवेदित भूखण्ड के भवन निर्माण स्वीकृति के आवेदन/प्रक्रिया से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज मय पंजीकृत तकनीकीविद् से अनुमोदित कार्यालय में प्राप्त हो चुके है। आप द्वारा भवन विनिमयों के प्रावधानों की सुनिश्चियता करते हुये भवन निर्माण किया जा सकेगा, मॉडल राजस्थान भवन विनिमय-2020 के विनिमय संख्या 6(1) एवं 6 (2) के तहत भूखण्ड पर निर्माण भवन विनिमयों के अनुसार ही किया जाना होगा, अन्यथा भवन विनिमयों के मानदण्डों का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी भूखण्डधारी की होगी एवं स्थानीय निकाय द्वारा ऐसे भवन विनिमयों के विपरीत निर्माण को नियमानुसार सीज अथवा ध्वस्त किया जा सकेगा।

स्थान :
Place : Jaipur

तारीख :
Date : 04/04/2025

Deputy Commissioner(Citizen Care Center)
उपायुक्त (नागरिक सेवा केन्द्र)

wideframe designs

Ar. Harish Kumar Kumawat
C.O.A. No.: CA/2016/77777
Reg. No.: CTP Raj/Architect/2021/103

Registered / Authorized Architect for Building Approvals, C.C. / O.C. | Architecture | Interior | Urban Planning

दिनांक : 29/03/2025

सेवा में,

श्रीमान् उपायुक्त महोदय, जोन – पी.आर.एन.(दक्षिण–द्वितीय)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर, राजस्थान

विषयः– भूखण्ड संख्या 14, प्रजापति नगर –सी (ग्राम–मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास), जयपुर, राजस्थान, क्षैत्रफलः 1232.45 वर्ग मीटर (1474.00 वर्ग गज) के आवासीय प्रयोजनार्थ, अनुमोदित भवन मानचित्र जमा करवाने बाबत् एवं प्राप्ति स्वीकार की सुचना (Acknowledgement) दिलवाने हेतु।

उपरोक्तानुसार मैं, हरीश कुमार कुमावत, मॉडल राजस्थान (शहर क्षैत्र) भवन विनियम 2020 के बिन्दू संख्या 20 के तहत पंजीकृत वास्तुविद् हूं। मेरा पंजीयन CTP Raj./Architect/2021/103 है। मेरे द्वारा भूखण्ड संख्या 14, प्रजापति नगर –सी (ग्राम–मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास), जयपुर, राजस्थान, क्षैत्रफलः 1232.45 वर्ग मीटर (1474.00 वर्ग गज) के आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु भवन मानचित्र अनुमोदित किये गये है। अनुमोदन प्रक्रिया के निम्नलिखित दस्तावेज आपको नियमानुसार प्रस्तुत किये जा रहे हैं :–

1. प्रार्थी द्वारा किये गये आवेदन व पहचान दस्तावेज की प्रति
2. भूखण्ड का गुगल मैप पर लोकेशन व फोटोग्राफ्स
3. लीज डीड व साइट प्लान
4. पंजीकृत अधिवक्ता द्वारा जारी लीगल सर्च रिपोर्ट
5. आवश्यक Affidavits की मूल प्रति
6. मांग पत्र
7. मांग पत्र की जमा राशि की रसीद
8. लेबर सैंस जमा राशि की रसीद
9. फायर सैंस जमा राशि की रसीद
10. भवन मानचित्र अनुमोदन पत्र की प्रति
11. अनुमोदित भवन मानचित्रों की प्रति
12. बेटरमेंट लेवी की राशि के उत्तर दिनांकित चेक (Post Dated Cheque) निम्नानुसार संलग्न है

क्र.सं.	बैंक का नाम	चैक नंबर	दिनांक	राशि रु. में	टिप्पणी
1.	एच.डी.एफ.सी. बैंक	000348	29 / 03 / 2026	12,57,522 / –	संलग्न है
2.	एच.डी.एफ.सी. बैंक	000349	29 / 12 / 2026	12,57,522 / –	संलग्न है
3.	एच.डी.एफ.सी. बैंक	000350	29 / 09 / 2027	12,57,522 / –	संलग्न है
4.	एच.डी.एफ.सी. बैंक	000351	29 / 06 / 2028	12,57,522 / –	संलग्न है
5.	एच.डी.एफ.सी. बैंक	000359	29 / 03 / 2029	12,57,522 / –	संलग्न है

Ar. Harish Kumar Kumawat
B-22, Ganesh Marg
Bapu Nagar, Jaipur-302015
COA Reg.-CA/2016/77777
CTP Raj./Architect/2021/103

भवदीय
हरीश कुमार कुमावत
पंजीकृत वास्तुविद

wideframe designs

Ar. Harish Kumar Kumawat
C.O.A. No.: CA/2016/77777
Reg. No.: CTP Raj/Architect/2021/103

Registered / Authorized Architect for Building Approvals, C.C. / O.C. | Architecture | Interior | Urban Planning

पत्र क्रमांक : CTP/JDA/HKK/2025/BPA/48

दिनांक : 29/03/2025 के तहत अनुमोदित

भवन निर्माण मानचित्र अनुमोदन पत्र

श्री पूरण मल सैनी पुत्र श्री मूल चंद सैनी

पता : भूखंड संख्या –न्यू सांगानेर रोड, पटेल मार्ग के सामने, मानसरोवर, जयपुर, राज. 302020

विषयः– भूखण्ड संख्या 14, प्रजापति नगर –सी (ग्राम–मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास), जयपुर, राजस्थान, क्षेत्रफलः 1232.45 वर्ग मीटर (1474.00 वर्ग गज) के आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन पत्र बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरे द्वारा भूखण्ड संख्या 14, प्रजापति नगर –सी (ग्राम–मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास), जयपुर, राजस्थान, क्षेत्रफलः 1232.45 वर्ग मीटर (1474.00 वर्ग गज) के आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन पत्र बाबत् योजना के ले–आउट, योजना से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों तथा प्रश्नगत भूखण्ड का निरीक्षण कर लिया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड का भू उपयोग आवासीय स्वीकृत योजना के अनुरूप है। भूखण्ड का मौके पर डिमार्केशन कर दिया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूखण्ड का माप, आकार, स्थिति व क्षेत्रफल स्वीकृत योजना के अनुरूप ही है।

प्रस्तुत भवन मानचित्र का विस्तृत विवरण निम्न है :–

i. भूखण्ड का नाप व क्षेत्रफल :– 1232.45 वर्ग मीटर (1474.00 वर्ग गज)
ii. प्रस्तावित भवन का प्रयोजन :– आवासीय
iii. भूखण्ड के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार पट्टे के अनुसार :– 18.0 M (60'-0") WIDE
iv. भवन के पैरामीटर साईट प्लान/भवन विनियमों के अनुसार :–

Ar. Harish Kumar Kumawat
B-22, Ganesh Marg
Bapu Nagar, Jaipur-302015
COA Reg.-CA/2016/77777
CTP Raj./Architect/2021/103

क्र. सं.	भवन के पैरामीटर	अनुज्ञेय	प्रस्तावित
1.	सैटबैक (मी.)		
	(अ) सामने	4.5 मी.	4.57 मी.
	(ब) पार्श्व प्रथम	4.5 मी.	4.57 मी.
	(स) प्राश्र्व द्वितीय	4.5 मी.	4.57 मी.
	(द) पीछे	4.5 मी.	4.57 मी.
2.	आच्छादित क्षैत्र	सैटबैक क्षैत्र के अन्दर	सैटबैक क्षैत्र के अन्दर
3.	भवन की ऊँचाई एवं प्रस्तावित मंजिलों की संख्या	18.00 मी. (B+S+G+5)	18.00 मी. (B+S+G+5)
4.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	—	6579.22 वर्ग मी.
5.	बी.ए.आर. क्षेत्रफल	2464.90 वर्ग मी.	4883.21 वर्ग मी.
6.	पार्किंग: कुल	35 कार, 35 स्कूटर	48 कार, 26 स्कूटर
	(अ) स्टिल्ट पार्किग	—	25 कार, 16 स्कूटर
	(ब) बेसमेंट पार्किग	—	23 कार, 10 स्कूटर

फ्लोर एरिया का विवरण :—

तल	सकल निर्मित क्षेत्र	बी.ए.आर.
(A) बेसमेंट मंजिल	708.00 वर्ग मी.	NIL
(B) स्टिल्ट	833.72 वर्ग मी.	156.29 वर्ग मी.
(C) भू—तल मंजिल	833.72 वर्ग मी.	787.82 वर्ग मी.
(D) प्रथम मंजिल	833.72 वर्ग मी.	787.82 वर्ग मी.
(E) द्वितीय मंजिल	833.72 वर्ग मी.	787.82 वर्ग मी.
(F) तृतीय मंजिल	833.72 वर्ग मी.	787.82 वर्ग मी.
(G) चतुर्थ मंजिल	833.72 वर्ग मी.	787.82 वर्ग मी.
(H) पंचम मंजिल	833.72 वर्ग मी.	787.82 वर्ग मी.
(I) टेरेस फ्लोर	35.18 वर्ग मी.	NIL
कुल	**6579.22 वर्ग मी.**	**4883.21 वर्ग मी.**

भवन मानचित्र अनुमोदन स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ दी जाती है :—

1. भवन अनुज्ञा अवधि जारी दिनांक से 7 वर्ष अथवा भवन विनियम अनुसार प्रभावी रहेगी।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में दर्शित निर्देशो के अनुसार अपशिष्ठ जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकलींग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
4. मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में दर्शित निर्देशो के अनुसार ठोस कचरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

HKumawat

Ar. Harish Kumar Kumawat
B-22, Ganesh Marg
Bapu Nagar, Jaipur-302015
COA Reg.-CA/2016/77777
CTP Raj./Architect/2021/103

5. मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में दर्शित निर्देशो के अनुसार सौर ऊर्जा संयत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में दर्शित निर्देशो के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कन्र्जेवेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. आप द्वारा मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में दर्शित निर्देशो के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
8. मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में दर्शित निर्देशो के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
9. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेगें कि वो सडक की ओर निकले हुए नहीं हों।
10. भूस्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
11. भूस्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
12. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
13. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 के विनियम में दर्शित निर्देशो के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
14. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
15. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कन्ट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय–समय पर जाँच की जाए।
16. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्टरूप से दर्शाने होगें।
17. मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वत निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
18. उक्त भुखण्ड सम्बंधित प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
19. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
20. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
21. अग्निशमन N.O.C. एवं अन्य विभागों द्वारा आवश्यक सभी N.O.C. इत्यादि प्रार्थी द्वारा आवश्यक रूप से नियमानुसार प्राप्त की जानी है।
22. भवन निर्माण में आंतरिक मानदण्ड बाबत जिन विषयों पर ब्यौरा यहां नही दिया गया है, उन बाबत मानदण्ड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगें।

Ar. Harish Kumar Kumawat
B-22, Ganesh Marg
Bapu Nagar, Jaipur-302015
COA Reg.-CA/2016/77777
CTP Raj./Architect/2021/103

wideframe designs

Ar. Harish Kumar Kumawat
C.O.A. No.: CA/2016/77777
Reg. No.: CTP Raj/Architect/2021/103

Registered / Authorized Architect for Building Approvals, C.C. / O.C. | Architecture | Interior | Urban Planning

23. भूखण्डों पर किये जाने निर्माण पर अगर किसी भी प्रकार का सर्विस टैक्स अथवा अन्य कोई टैक्स देय होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
24. भवन निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद – पड़ौसी, ठेकेदार अथवा अन्य किसी भी विभाग इत्यादि के द्वारा हेतु भवन मालिक स्वयं जिम्मेदार रहेगा एवं उक्त कार्यो हेतु समस्त खर्चा भवन मालिक वहन करेगा।
25. योजना प्लान में दर्शायी गयी सड़क जयपुर विकास प्राधिकरण /नगर निगम जयपुर की भूमि या अन्य भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण भूखण्ड धारी द्वारा नहीं किया जावें तथा मौके पर सड़क चौड़ाई योजना में दर्शायी अनुसार उपलब्ध हो।
26. भवन मानचित्र मॉडल राजस्थान जयपुर रीजन भवन भवन विनियम – 2020 के मानदण्डों एवं विनियमों की न तो गलत व्याख्या की गयी है एवं न ही भवन मानचित्र बनाते समय कोई तथ्य छिपाया गया है। मेरी सेवाएं व देखरेख में यदि भवन निर्माता, भवन निर्माण करवाता है तो मेरे द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण करवाया जायेगा।
27. यदि किसी भी अवस्था में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कुछ भी पाया जाये तो सम्बन्धित विभाग से कोई भी कार्यवाही मेरे विरूद्ध करने के लिये सक्षम होगा जिसमें मानचित्रों की स्वीकृति रद्द करना, अधोहस्ताक्षरकर्ता को विभाग में मानचित्र प्रस्तुत करने की सेवा कार्य से हटाना, भी शामिल होगा एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर को उचित कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जा सकता है।
28. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात नियमानुसार पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
29. आप द्वारा लेबर सेस की प्रति वर्ष शेष राशि स्वयं के स्तर पर लेबर विभाग में जमा करवाई जानी होगी।
30. आवेदक एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विभन्न आवश्यक शपथ – पत्र मय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित मानचित्रों की प्रति भवन विनियम प्रावधानों के अनुरूप व नगरीय निकाय में भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत विभिन्न मदों के अंतर्गत जमा होने वाली सम्पूर्ण राशि को नगरीय निकाय में जमा कराने के उपरान्त उक्त भूखण्ड के **आवासीय** प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदित किये जा रहे हैं।

संलग्न : अनुमोदित मानचित्रों की प्रति का 1सेट (02 मानचित्र)।

Ar. Harish Kumar Kumawat
B-22, Ganesh Marg
Bapu Nagar, Jaipur-302015
COA Reg.-CA/2016/77777
CTP Raj./Architect/2021/103

भवदीय
हरीश कुमार कुमावत
पंजीकृत वास्तुविद

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–
1. उपायुक्त महोदय, जोन – पी.आर.एन.(दक्षिण–द्वितीय)
2. संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय, जयपुर
3. Chief Fire Officer, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

Ar. Harish Kumar Kumawat
B-22, Ganesh Marg
Bapu Nagar, Jaipur-302015
COA Reg.-CA/2016/77777
CTP Raj./Architect/2021/103

भवदीय
हरीश कुमार कुमावत
पंजीकृत वास्तुविद

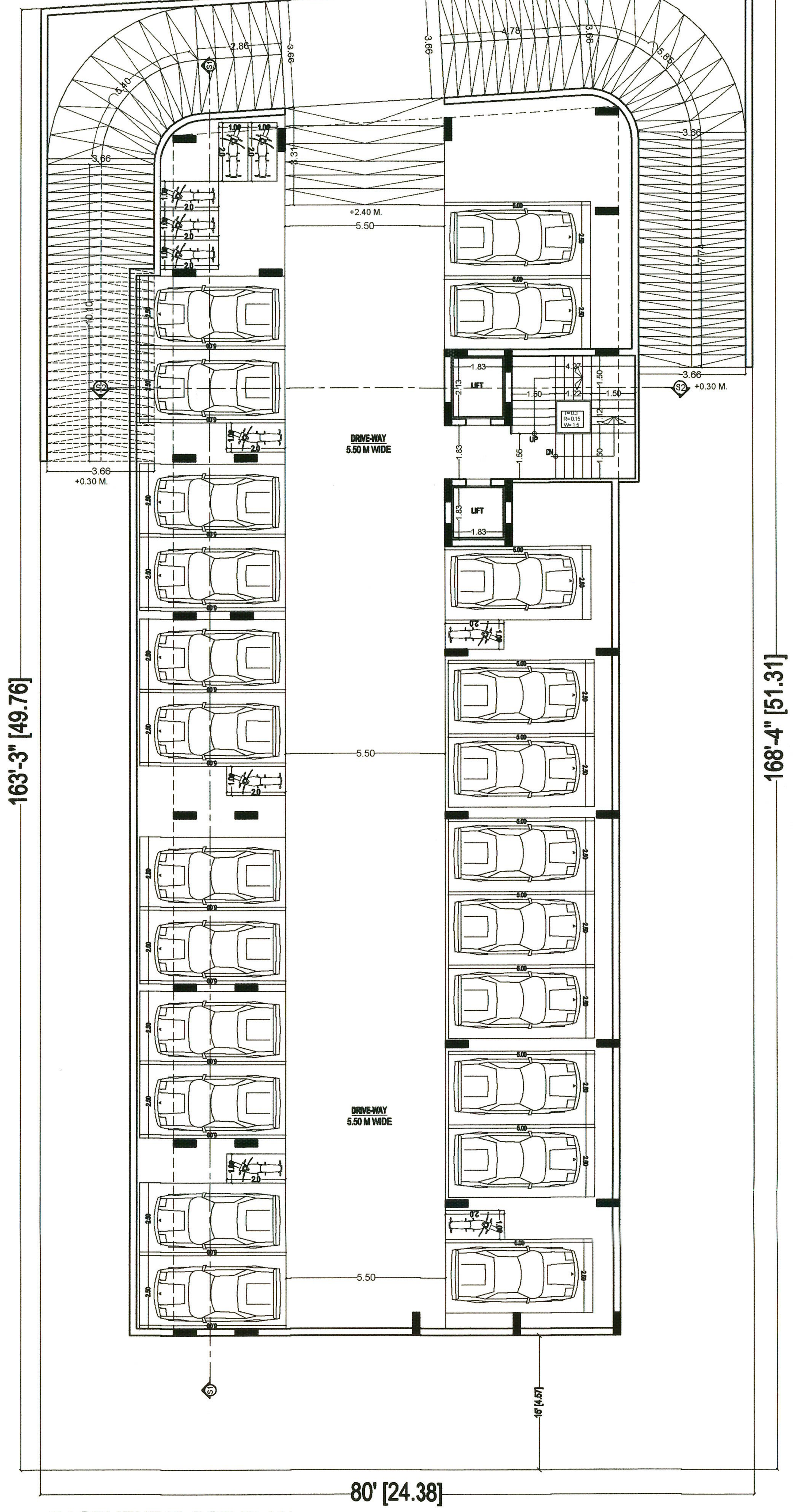

BASEMENT FLOOR PLAN

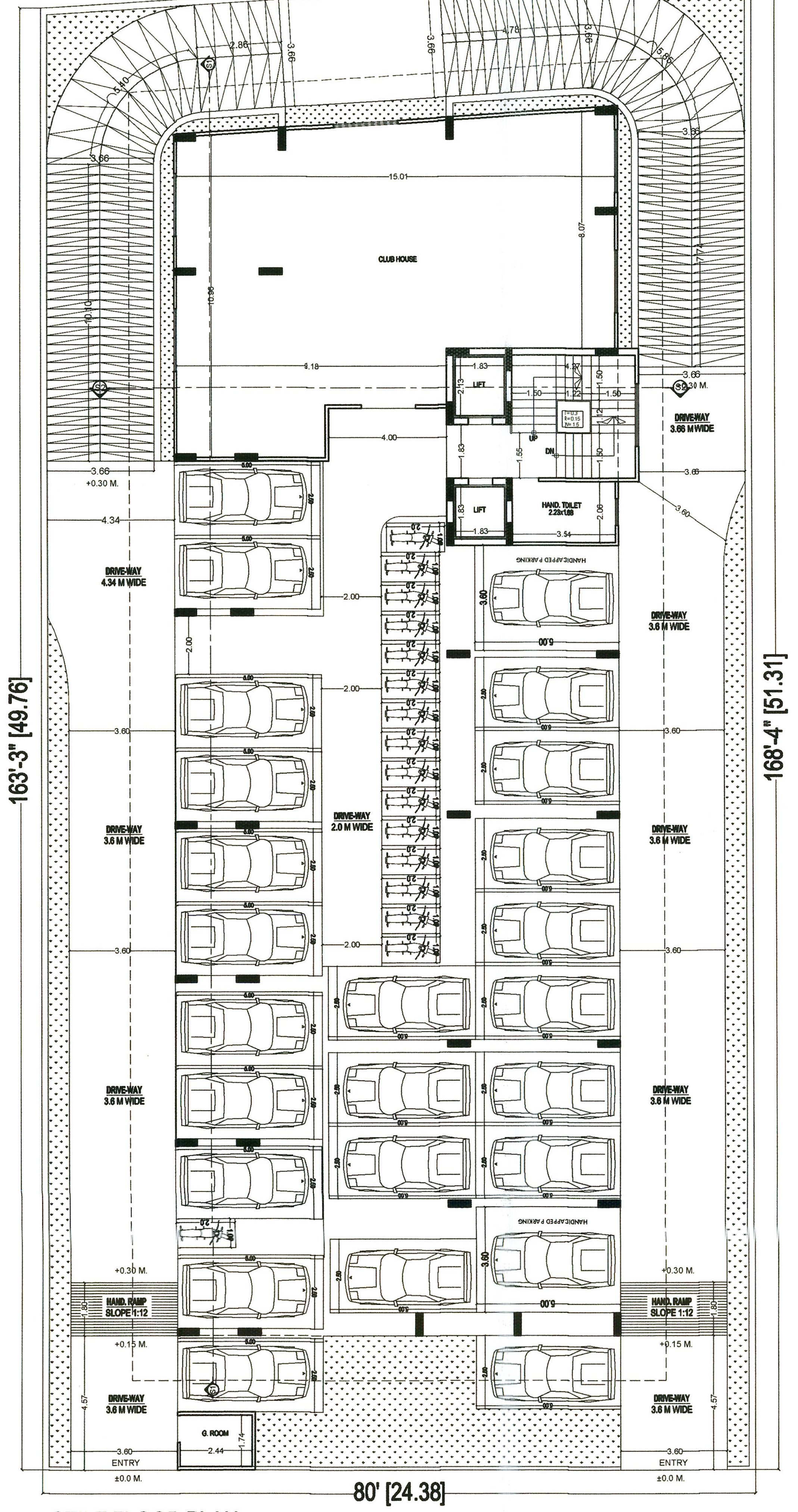

STILT FLOOR PLAN

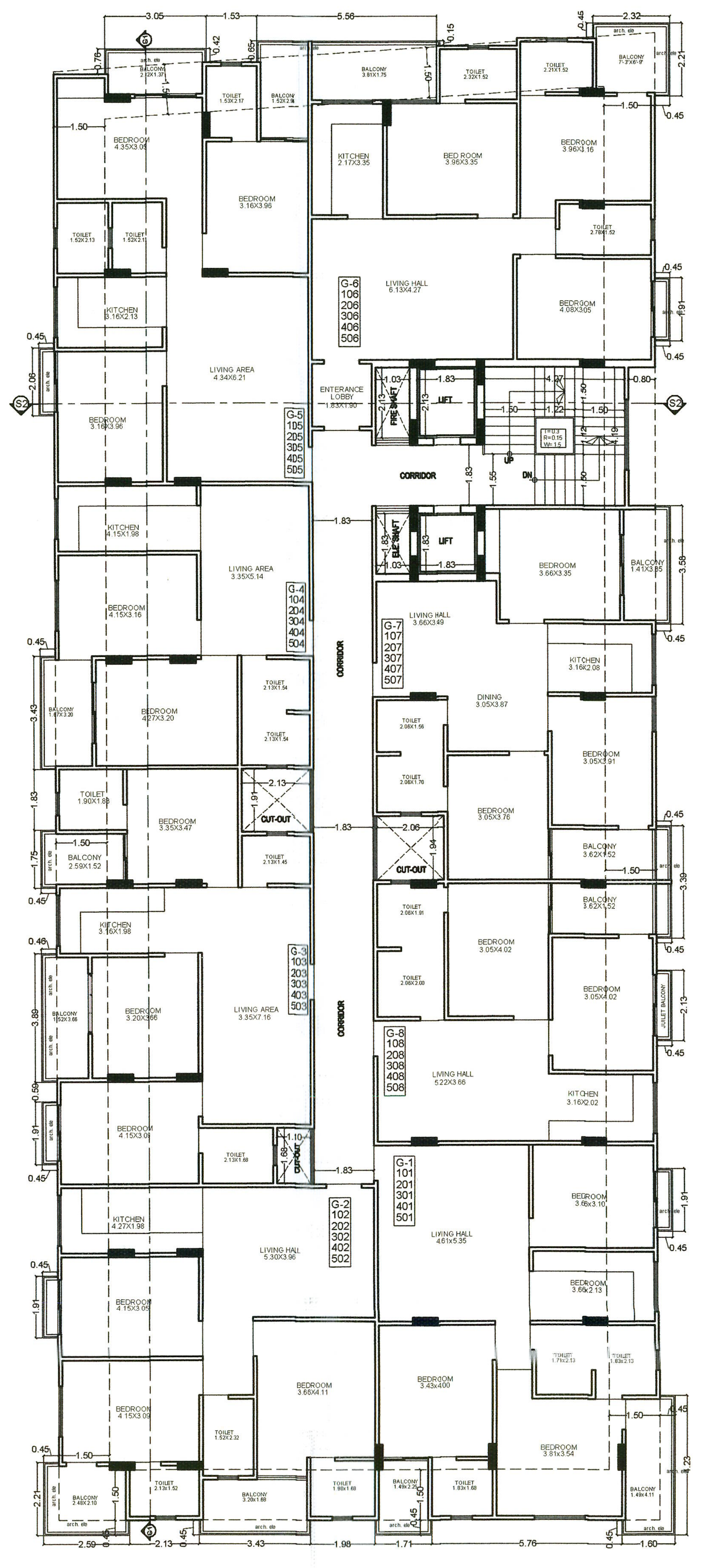

GROUND, 1st, 2nd, 3rd, 4th & 5th FLOOR PLAN

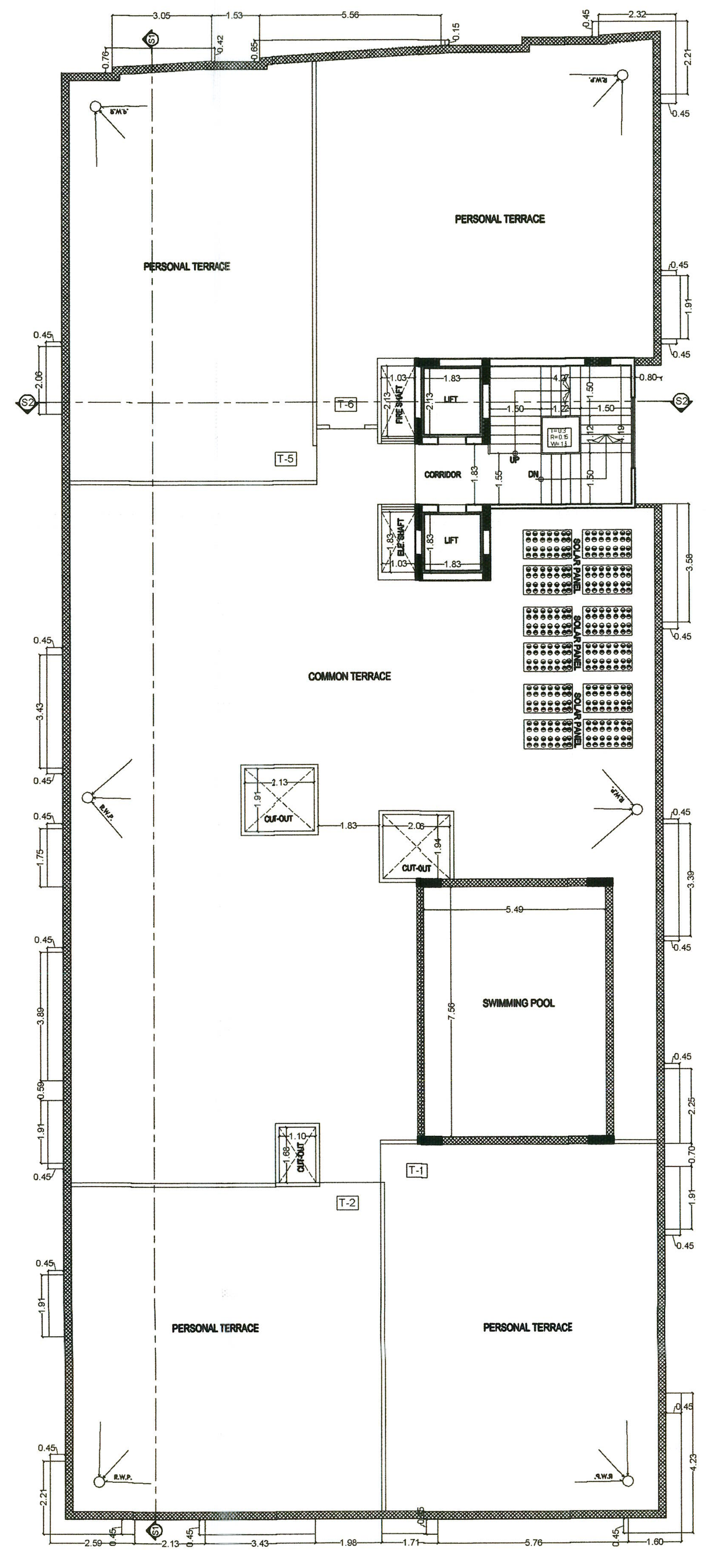

TERRACE FLOOR PLAN

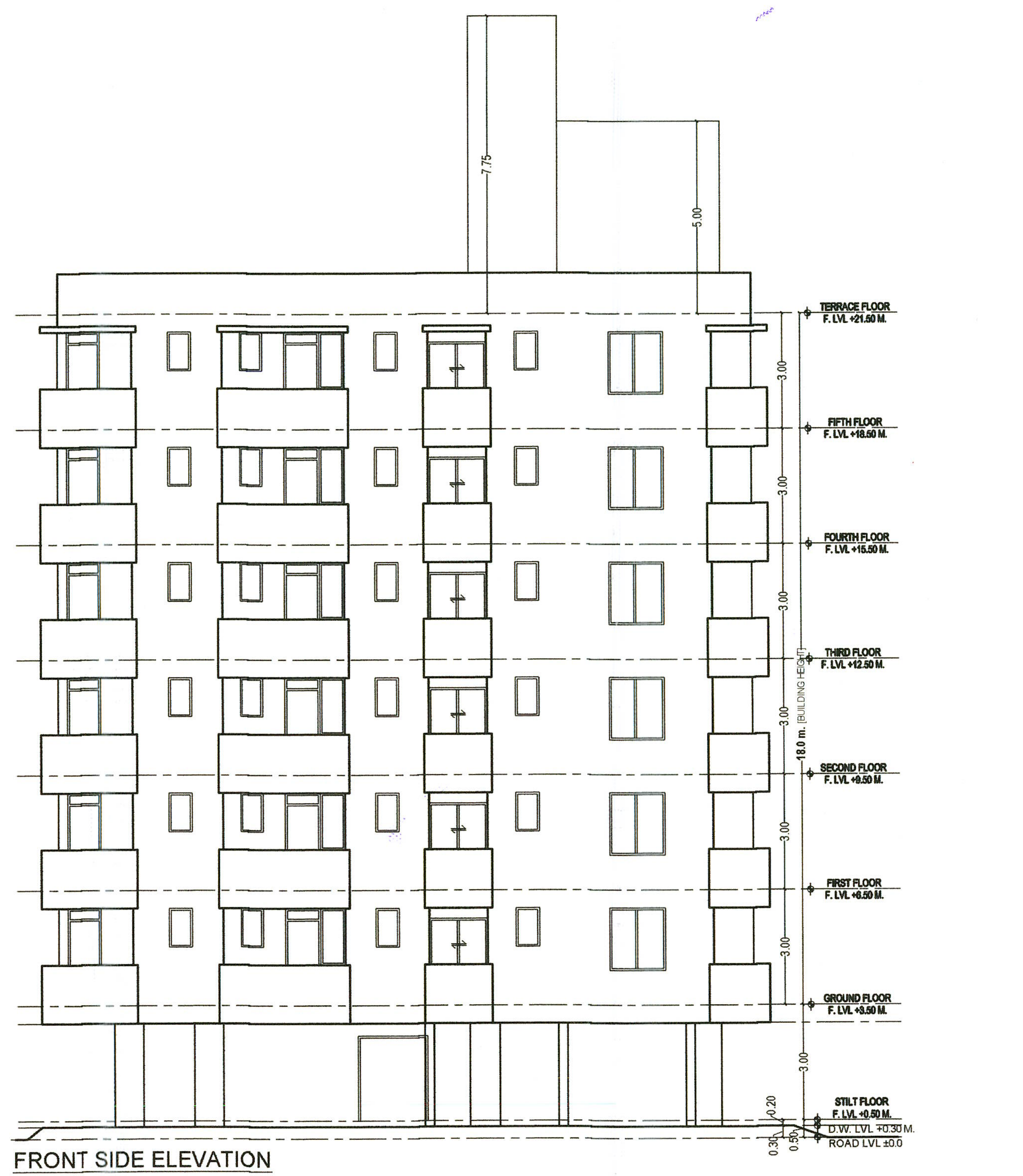

FRONT SIDE ELEVATION

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखे जावे अन्यथा जविप्रा द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

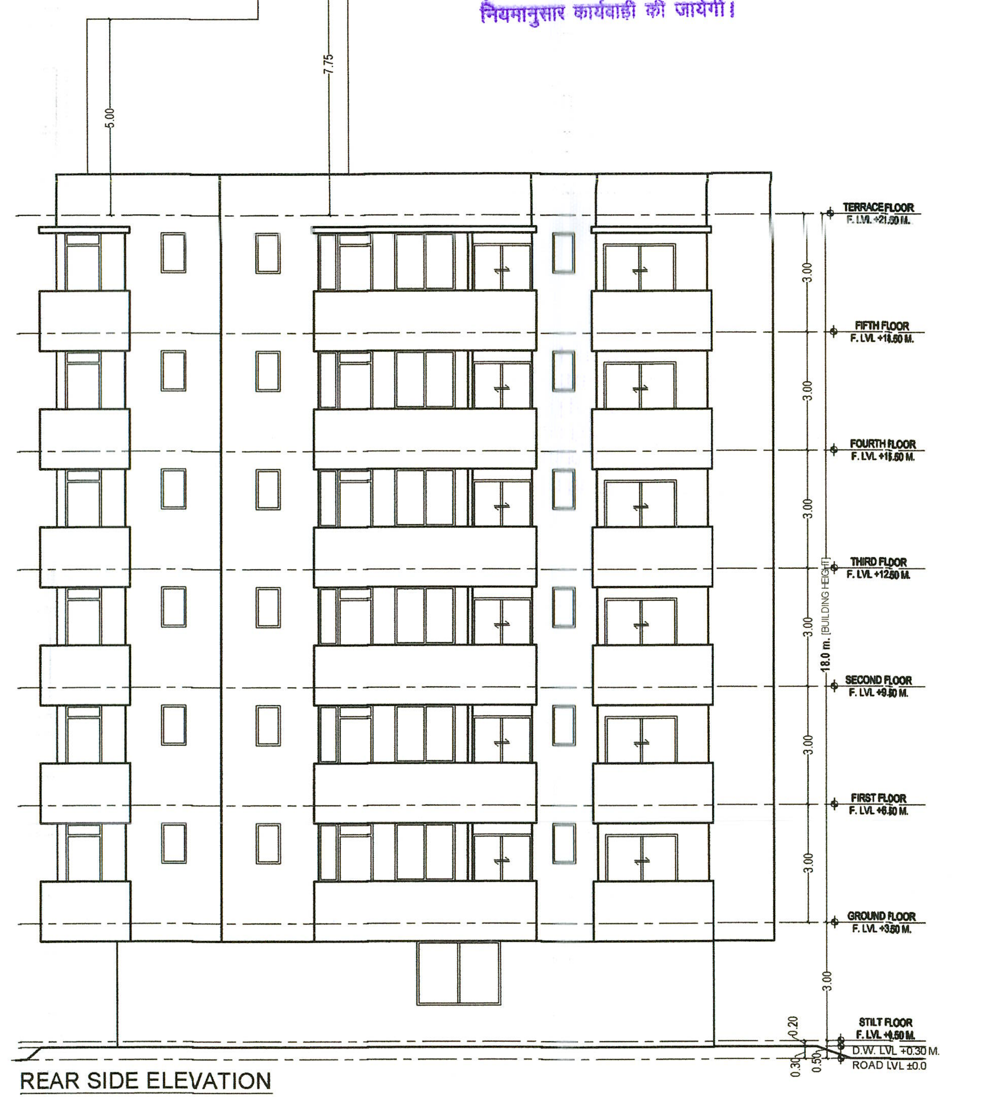

REAR SIDE ELEVATION

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 की [illegible] के दिशा निर्देशों के अनुसार [illegible] भवन मे विशेष [illegible] अन्यथा ज.वि.प्रा. द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

ROAD 60'-0" WIDE

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और न ही दूसरे किसी के स्वामित्व सम्बंधि अधिकारी ही प्रमाणित होंगे। नीचे किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (Strucutre) का दायित्व प्रार्थी का होगा।

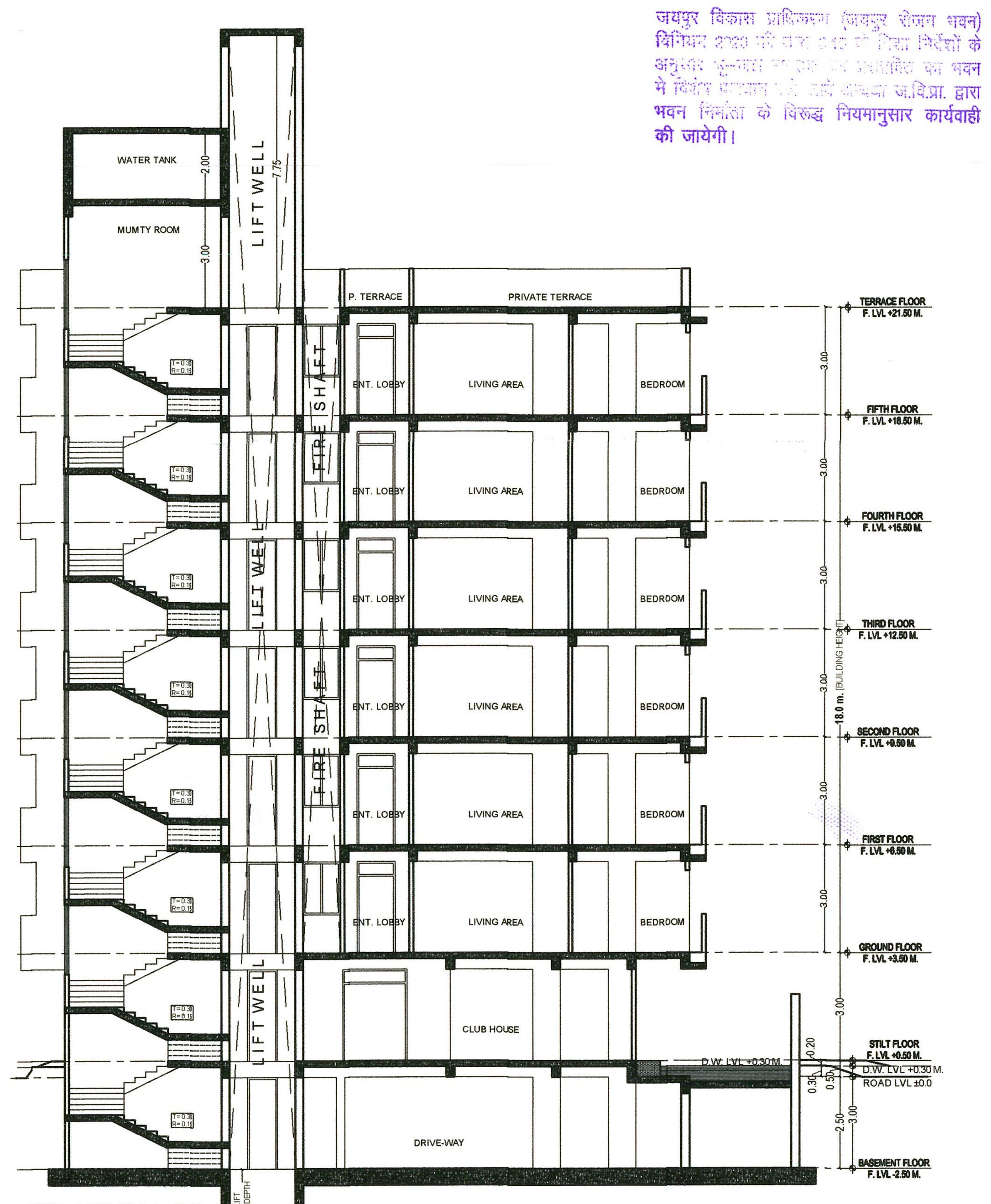

SECTION S2

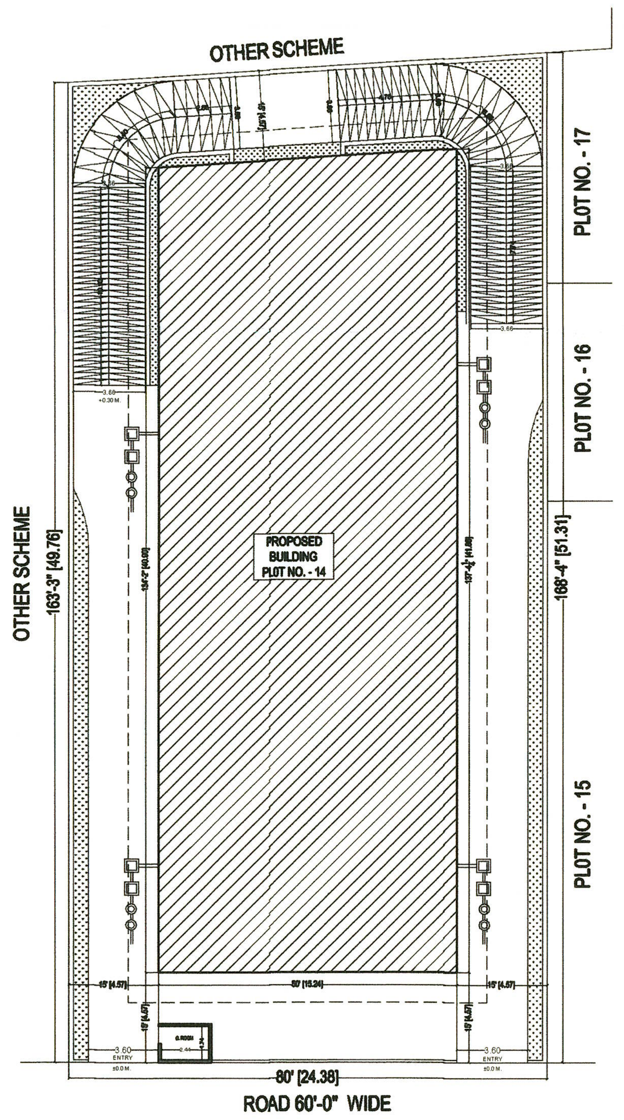

SITE PLAN & WATER HARVESTING PLAN
(SCALE - 1:200)

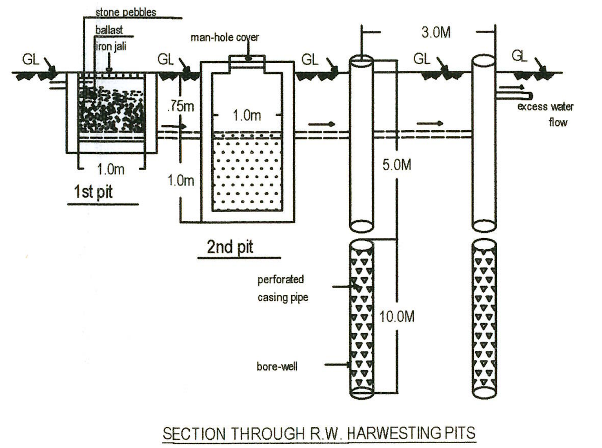

SECTION THROUGH R.W. HARVESTING PITS

S.NO	REFERENCE	
1	TOTAL PLOT AREA = 1474 Sq. Yds. ~ 1232.45 Sq.M.	
2	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = WITHIN SETBACKS	
3	PROPOSED GROUND COVERAGE = WITHIN SETBACKS	
4	PERMISSIBLE HEIGHT OF BUILDING = 18.0 M + STILT	
4	PROPOSED HEIGHT OF BUILDING = 18.0 M + STILT	
4	REQUIRED AREA OF LANDSCAPE = 10% OF PLOT AREA	
5	PROPOSED AREA OF LANDSCAPE = 123.50 SQ.M. (10.02%)	
6	REQ. PARKING	
	RESIDENTIAL	1 ECU PER 115 SQ.M. RESIDENTIAL AREA = 4883.21 / 115 = 42.46 ECU + 10% VISITOR = 46.70 ECU
	TOTAL REQUIRED	75% ~ 35.02 ECU ~ 35 CARS 25% ~ 11.67 ECU x 3 ~ 35 SCOOTERS
7	PROVIDED PARKING	
	BASEMENT CAR PARKING = 23 CAR & 10 SCOOTERS STILT CAR PARKING = 25 CAR & 16 SCOOTERS	
	TOTAL CAR PARKING = 48 CAR TOTAL SCOOTER PARKING = 26 SCOOTERS	

AREA STATEMENT

S.NO.	FLOOR	GROSS BUILT UP AREA	ARCHITECTURAL PROJECTION	CUT-OUT & LIFT	BUILT UP AREA (BAR)
		A	B	C	D
1	BASEMENT FLOOR	708.00	NILL	7.25	NILL
2	STILT FLOOR	833.72	24.90	7.25	156.29 (CLUB HOUSE & TOILET)
3	GROUND FLOOR	833.72	24.90	21.00	787.82
4	FIRST FLOOR	833.72	24.90	21.00	787.82
5	SECOND FLOOR	833.72	24.90	21.00	787.82
6	THIRD FLOOR	833.72	24.90	21.00	787.82
7	FOURTH FLOOR	833.72	24.90	21.00	787.82
8	FIFTH FLOOR	833.72	24.90	21.00	787.82
9	TERRACE FLOOR	35.18	NILL	7.25	NIL
	TOTAL	**6579.22**	**174.30**	**147.75**	**4883.21**

B.A.R. CALCULATION:

PERMISSIBLE B.A.R. = (PLOT AREA x B.A.R.)
= (1232.45 x 2.0)
= 2464.90 B.A.R.

PROPOSED BUILT UP AREA COUNTABLE UNDER B.A.R.
= 4883.21 SQ.M. BUILT UP AREA

PURCHASABLE B.A.R.=
= PROPOSED B.A.R. - PERMISSIBLE B.A.R.
= 4883.21 - 2464.90
= 2418.31 SQ.M.

पत्र क्रमांक CTP/JDA/HKK/2025/BPA/48
दिनांक 29.03.25 के तहत अनुमोदित

अनुमोदित
पेड़ लगाओ–हरियाली बढ़ाओ।

PROJECT:-	SCALE	NORTH:-	OWNER:-	APPROVAL AUTHORITY / REGISTERED ARCHITECT:-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. 14, AT SCHEME :- PRAJAPATI NAGAR - C (VILL. MAANPUR DEVRI URF GOLAYASS), DEV. BHARAT BHAWAN GRAH NIRMAN SHAKARI SAMITI LTD.	1:150 DATE 28-03-2025	S / E / W / N		Ar. Harish Kumar Kumawat B-22, Ganesh Marg Bapu Nagar, Jaipur-302015 COA Reg.-CA/2016/77777 CTP Raj./Architect/2021/103

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखे जावे अन्यथा जविप्रा द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार भू-जल संग्रहक का प्रस्तावित का भवन में विशेष प्रावधान रखे जावे अन्यथा ज.वि.प्रा. द्वारा भवन निर्माता के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

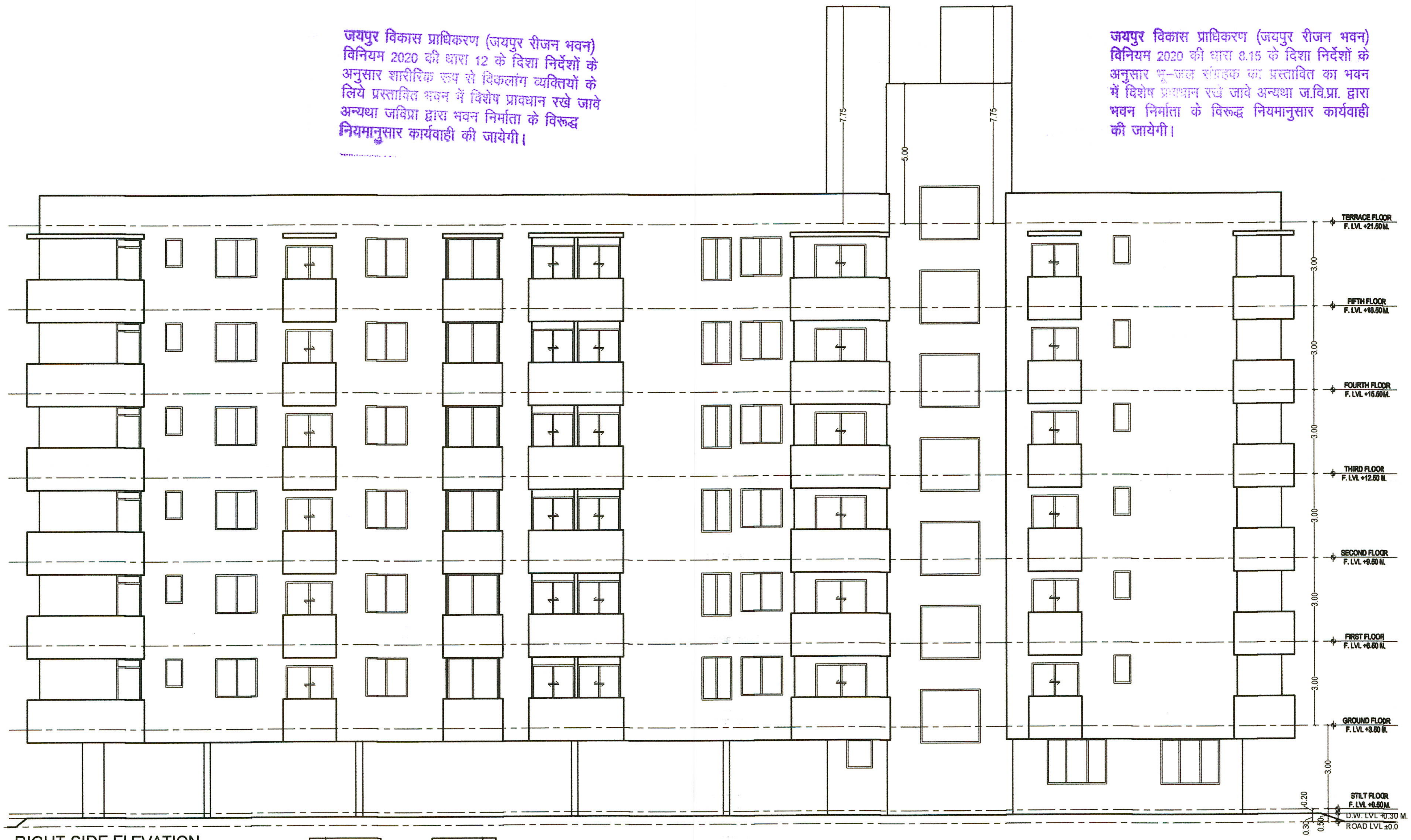

RIGHT SIDE ELEVATION

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और न ही दूसरे किसी के स्वामित्व सम्बंधि अधिकारी ही प्रमाणित होंगे। नीचे किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (Strucutre) का दायित्व प्रार्थी का होगा।

LEFT SIDE ELEVATION

SECTION (S-1)

पत्र क्रमांक CTP/JDA/HKK/2025/BPA/48
दिनांक 29.08.25 के तहत अनुमोदित

PROJECT:-	SCALE	NORTH:-	OWNER:-	APPROVAL AUTHORITY / REGISTERED ARCHITECT:-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. 14, AT SCHEME :- PRAJAPATI NAGAR - C (VILL. MAANPUR DEVRI URF GOLAYASS), DEV. BHARAT BHAWAN GRAH NIRMAN SHAKARI SAMITI LTD.	1:100 DATE 28-03-2025	S E W N	(signature)	अनुमोदित पेड़ लगाओ–हरियाली बढ़ाओ। Ar. Harish Kumar Kumawat B-22, Ganesh Marg Bapu Nagar, Jaipur-302015 COA Reg.-CA/2016/77777 CTP Raj./Architect/2021/103